

भूमि बिक्री अनुमति वाद सं०-72/2021

सी०एन०टी० एक्ट की धारा-46(1)(B) अंतर्गत

श्री शम्भू चौधरी - विक्रेता

प्रति

शान्ति देवी - क्रेता

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक (विक्रेता) श्री शम्भू चौधरी, पिता स्व० गुपतेश्वर चौधरी, ग्राम-लगमा, पोस्ट-लगमा, थाना-गढ़वा, जिला-गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता शान्ति देवी, पति स्व० रामजीत सिन्हा, ग्राम-अधारी, पोस्ट-बंका, थाना-मेराल, जिला-गढ़वा को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के धारा-46(1)(B) के अन्तर्गत भूमि बिक्री करने हेतु आवेदन दिया गया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, मेराल से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ एवं आम इस्तेहार का विधिवत् तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, मेराल के पत्रांक-54, दिनांक-09.02.2022 के द्वारा प्राप्त हुआ एवं विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के संबंध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि का विक्रेता के पिता के नाम से मांग पंजी-11 के पृष्ठ सं०-82/1 पर चलता है। विक्रेता जाति के कुर्मी महतो (पिछड़ा वर्ग) एवं क्रेता जाति के कुर्मी महतो (पिछड़ा वर्ग) के सदस्य हैं। विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही गढ़वा जिला के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि बिक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि आवेदक (विक्रेता) के शान्तिपूर्ण दखल-कब्जे में है। यह भूमि भू-दान, भू-हदबन्दी, वनसीमा इत्यादि से मुक्त है।


अतः अंचल अधिकारी, मेराल के अनुशंसा के आलोक में आवेदक (विक्रेता) श्री शम्भू चौधरी, पिता स्व० गुपतेश्वर चौधरी, ग्राम-लगमा, पोस्ट-लगमा, थाना-गढ़वा, जिला-गढ़वा के द्वारा क्रेता शान्ति देवी, पति स्व० रामजीत सिन्हा, ग्राम-अधारी, पोस्ट-बंका, थाना-मेराल, जिला-गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि की बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के धारा-46(1)(B) के अन्तर्गत बिक्री हेतु हस्तान्तरण करने हेतु स्वीकृति दी जाती है।


भूमि का विवरण

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
अकलवानी	219	3/2	1704	0.18	उ०-पक्की सड़क NH-75, द०-गौरी शंकर चौधरी, पु०-नीज विक्रेता, प०-नीज विक्रेता
कुल रकबा :-				0.18	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित


अपर समाहर्ता,
गढ़वा।


अपर समाहर्ता,
गढ़वा।